

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 14.05.2015

संशोधित बैठक सूचना

विभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित संशोधित बैठक सूचना पत्र दिनांक 06.05.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशानुसार लेख है कि माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा निम्न जिलों में विभाग की सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। उक्त दौरों में निम्नानुसार अधिकारी भी सम्मिलित होंगे :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
- 3 शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 4 शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
- 5 आयुक्त, महानरेगा।
- 6 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 7 निदेशक, मिड-डे-मील।
- 8 निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
- 9 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 10 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
- 11 परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 12 संबंधित जिलों के जिला प्रभारी

निर्देशानुसार जिला राजसमंद की दो दिवसीय बैठक 15 एवं 16 मई, 2015 के स्थान पर दिनांक 16 मई, 2015 को ग्राम पंचायत पिपलान्त्री, राजसमंद तथा दौसा जिले की दो दिवसीय बैठक 22 एवं 23 मई, 2015 के स्थान पर 24 मई, 2015 को रखी गई है। जिला नागौर की बैठक सूचना अलग से जारी की जाएगी।

जिलों में बैठक कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

राजसमंद :- दिनांक 16 मई, 2015

क्र.सं.	समय	स्थान	प्रतिभागी	एजेण्डा
1.	10.30 से 1:30 तक	बैठक कक्ष जिला कलक्ट्रेट, राजसमंद	माननीय सांसद, जिले के समस्त माननीय विधायकगण, जिला प्रमुख, जिले के समस्त प्रधान, जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिले के समस्त योजना प्रभारी एवं जिले के समस्त विकास अधिकारी	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समस्त योजनाओं की प्रगति पर चर्चा।
2	1:30 से 2:30 तक			लन्च ब्रेक
3	2:30 से			मा0 मंत्री महोदय के निर्देशानुसार फील्ड विजिट

दौसा :- दिनांक 24 मई, 2015

क्र.सं.	समय	स्थान	प्रतिभागी	एजेण्डा
1	10.00 से 12.00 तक	जिला परिषद दौसा	माननीय सांसद, जिले के समस्त माननीय विधायकगण, जिला प्रमुख, जिले के समस्त प्रधान, जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले के समस्त योजना प्रभारी एवं जिले के समस्त विकास अधिकारी	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समस्त योजनाओं की प्रगति पर चर्चा।
2.	12.00 से 2:00 तक	जिला परिषद दौसा	जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले के समस्त योजना प्रभारी एवं जिले के समस्त विकास अधिकारी	
3	2.00 से 3.00 तक			लन्च ब्रेक
4	3.00 से 6.00 तक			मा0 मंत्री महोदय के निर्देशानुसार फील्ड विजिट

उक्त बैठक का आयोजन एवं समन्वय आदि का दायित्व परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास एवं अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय) का होगा।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 5 निजी सचिव, महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
- 6 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
- 8 निजी सचिव, आयुक्त महानरेगा।
- 9 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 10 निदेशक, मिड-डे-मील।
- 11 निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
- 12 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 13 जिला कलक्टर, जिला परिषद दौसा/राजसमन्द/नागौर
- 14 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा/राजसमन्द/नागौर को प्रेषित कर लेख है जिला/खण्ड स्तरीय समस्त अधिकारियों का बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे, बैठक हेतु आवश्यक सूचनाएं तैयार करेंगे एवं बैठक आयोजन संबंधी समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- 15 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
- 16 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 17 जिला प्रभारी, मुख्यालय, जयपुर।
- 18 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)